105

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,रामगढ़

(पंचायत शाखा)

पत्रांक......210...... / ग्रा0पं0

प्रेषक :

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
रामगढ़।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
सामान्य शाखा,
रामगढ़।

रामगढ़, दिनांक 30 / 07 / 2013

विषयः **सूचना / प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबध में।**

प्रसंगः **आपका पत्रांक 860 दिनांक 27 / 06 / 2013**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा मांगी गई सूचना / प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजा जा रहा है।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

30/7/13.

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
रामगढ़।

D:\office leter.docx

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज,
विधायक/पार्षद योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)

अधिसूचना

संख्या–4प/ग्रा०–2–204/03/2488/ग्रा० पं० पटना, दिनांक 13/6/2005

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम, 19, 1993), यथासंशोधित, की धारा–121 सपठित धारा 32(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ग्राम रक्षा दल (संगठन, कर्त्तव्य एवं व्यवहार) नियमावली, 2004, जिसके प्रारूप का प्रकाशन उक्त धारा की अपेक्षानुसार पूर्व में किया जा चुका है, प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सम्यक विचार कर और उसका निपटारा कर, निम्नलिखित रूप में बनाते हैं :–

बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, कर्त्तव्य एवं व्यवहार) नियमावली, 2004

अध्याय –I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(1) यह नियमावली, "बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, कर्त्तव्य एवं व्यवहार) नियमावली, 2004" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

अध्याय –II

2. परिभाषाएं :– जबतक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है "बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993";

(ख) "नियमावली" से अभिप्रेत है "बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, कर्त्तव्य, एवं व्यवहार) नियमावली, 2004";

(ग) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र;

(घ) "ग्राम पंचायत" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत;

(ङ) "ग्राम पंचायत क्षेत्र" से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत का क्षेत्रीय भाग;

(च) "प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र,

(छ) "दल" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 32 (अ) के अधीन संगठित ग्राम रक्षा दल;